

न्यायालय की तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 375/18 तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 265 बनाम  
श्री अपाराम, अश्वीसह पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी श्रीवाड़ा तहसील

महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री अपाराम, अश्वीसह ने ग्राम श्रीवाड़ा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.02 किस्म अमरुदास फसल रबि / खरीफ संवत 20 14 चना में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.02 किस्म अमरुदास वाके ग्राम श्रीवाड़ा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.64 का 50 गुणा 32% शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल चना को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रजिस्टर ग/ख के पेज नं. 120 पर  
वर्ष 2017-18  
की राशि तादिल रूपसे 32%  
की जमा कायमी की गई।  
दिनांक 15/3/18 तहसील महवा  
रजिस्टर लेखाकार  
तहसील-महवा

महवा  
तहसीलदार महवा  
महवा (दौसा)